

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-28/01/26

विषय:- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु SNA SPARSH माध्यम से A&OE मद में "Formulation of GIS Based Master Plans for AMRUT Cities" उपयोजना हेतु विमुक्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि रू0 172.91468 लाख (एक करोड़ बहत्तर लाख इक्यानवे हजार चार सौ अड़सठ रू0 मात्र) का वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय राज्यादेश संख्या-73, दिनांक-23.11.2027 द्वारा "Formulation of GIS Based Master Plans for AMRUT Cities" उपयोजना हेतु विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि रू0 426.70240 लाख (चार करोड़ छब्बीस लाख सत्तर हजार दो सौ चालीस रू0 मात्र) राशि आवंटित किया गया है। इसी क्रम में विभागीय पत्रांक-7451, दिनांक-04.07.2025 द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से GIS Based Master Plans for AMRUT Cities के कार्यान्वयन हेतु द्वितीय किस्त कि राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-K-14011/15/2025-AMRUT (IIA) दिनांक-23.12.2025 द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में SNA SPARSH माध्यम से A&OE मद में GIS Based Master Plans उपयोजना हेतु केन्द्रांश की राशि रू0 172.91468 लाख (एक करोड़ बहत्तर लाख इक्यानवे हजार चार सौ अड़सठ रू0 मात्र) स्वीकृत किया गया है।

3. तदोपरांत आवश्यकतानुसार नगर निकायों/कार्यान्वयन एजेंसी को SNA SPARSH के माध्यम से Virtual Allotment/Limit राशि व्यय किया जायेगा। उक्त राशि का व्यय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- K-14011/15/2025-AMRUT (IIA) दिनांक-23.12.2025 के आलोक में की जाएगी।

4. योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India ds Office Memorandum F.No.1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F.No.1(27)/PFMS/2020 दिनांक-08.07.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। वित्त

विभाग, बिहार के पत्र सं०—e.gov/PFMS-05/2023-398 दिनांक—13.01.2025 के द्वारा RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS) के तहत Drawing Account खोले जाने की सूचना दी गयी है। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बुडा, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No.	Account Number	Name of Account	Short Name of Account	Purpose	Function Head
1	1585501167	BR274-AMRUT 2.0(9556) A&OE	AMRUT 2.0 A&OE	GIS Based Master Plans Sub-Scheme	3601061012401-31

5 स्वीकृत राशि रू० 172.91468 लाख (एक करोड़ बहत्तर लाख इक्यानवे हजार चार सौ अड़सठ रू० मात्र) माँग सं०—48, मुख्य शीर्ष—2217—शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष—051—निर्माण, उप शीर्ष—0209—शहरी पुनर्नवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT-2.0) (A&OE), विपत्र कोड—48-2217030510209 PFMS कोड—9556, विषय शीर्ष—31.06, से विकलनीय होगा।

6. केन्द्रांश/राज्यांश की राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.—7355 वि (2) दिनांक—05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०— पर दिनांक— को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ०— पर दिनांक— को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के संयुक्त सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक—14/AMRUT—25—15/2025

460

/न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक—28/01/26

प्रतिलिपि:—वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, बुडा/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा—2 (बजट), प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—3, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अवर सचिव, MoHUA, GoI, AMRUT Division/ विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।